राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांकः– एफ13/1/3/नि0चि0/वीएस/डीईएस/2021/ 671 दिनांकः 27.07.2022

जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
उप/सहायक निदेशक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
समस्त।

विषयः–निजी चिकित्सालय के ऑनलाईन लॉगिन आई. डी. पासवर्ड की प्रकिया के संबंध में।

महोदय,

जन्म–मृत्यु रजिट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 8(1)ख के तहत चिकित्सालय मे होने वाली जन्म–मृत्यु की घटना की सूचना चिकित्सा अधिकारी या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति देता है, पहचान पोर्टल पर निजी चिकित्सालय को यूजर आई.डी एवं पासवर्ड हेतु आवेदन करने की ऑनलाईन सुविधा प्रदान की गई है, जिसके लिए निम्न प्रकिया हैः–

निजी चिकित्सालयः–

1. पहचान पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर जाकर "निजी चिकित्सालय लॉगिन आवेदन पर क्लिक" करेंगें।
2. निजी चिकित्सालय अपने जिले का चयन कर ग्रामीण/शहरी को चुनकर पचायत समिति/शहरी निकाय के नाम का चुनावकर रजिस्ट्रार के विकल्प में जाकर अपने रजिस्ट्रार को चुनेंगें।
3. सूचनादाता(नि0चि0 का नोडल अधिकारी) आधार सत्यापन के बाद निजी चिकित्साल का नाम, मोबाईल न0 सत्यापन, फोन न0 एवं ई–मेल डालकर सूचना को SAVE कर जिला रजिस्ट्रार को अग्रेषित करेंगा।

जिला रजिस्ट्रारः–

1. जिला रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु) लॉगिन आई.डी रिपोर्ट का अवलोकन कर पूर्व में लॉगिन आई.डी. जारी नही होना सुनिशचित करेंगे।
2. जिला रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु) लॉगिन आई.डी हेतु प्राप्त अस्पताल के आवेदन के संबंध मे पंचायत समिति/शहरी निकाय का नाम एवं रजिस्ट्रार की वस्तुस्थिति के संबंध में सत्यता की जांच करेंगे।
3. जिला रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु) पूर्ण संतुष्टी उपरान्त निजि चिकित्सालय की लॉगिन आई.डी. जारी करेंगा।

सभी जिला रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु) अपने जिले के समस्त निजी चिकित्सालयों को पहचान पोर्टल पर आवेदन करवाकर यूजर आई.डी एवं पासवर्ड जारी करवाना सुनिश्चित करें।

(डॉ.ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ13/1/3/जनाधार/वीएस/डीईएस/2020/ 671 दिनांकः 27.07.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

4. **जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं आयुक्त, नगर निगम, जिला** समस्त।
5. **वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एनआईसी योजना भवन जयपुर।**

संयुक्त निदेशक (जीवनांक)